

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1635
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

रिक्त पद

1635. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सभी श्रेणियों में आरक्षित पदों सहित कितने पद संस्वीकृत हैं, कितने भरे गए हैं और कितनी रिक्तियाँ हैं; और
(ख) वर्ष 2014 से मंत्रालय और विभाग में आरक्षित पदों सहित रिक्तियों को वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;
(ग) वर्ष 2014 से अब तक सरकार द्वारा वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितने संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

(क) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में दो विभाग शामिल हैं अर्थात्, मत्स्यपालन विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग।

मत्स्यपालन विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जिन पदों के लिए भर्ती की जाती है उनके संदर्भ में 06.02.2026 की स्थिति अनुसार आरक्षित पदों समेत स्वीकृत और भरे हुए पदों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:-

विभाग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्तियाँ				
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
मत्स्यपालन विभाग	37	29	8*	2	-	1	1	2
पशुपालन और डेयरी विभाग	137	110	27 (23+04**)	11	1	2	4	5

*02 रिक्त पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियाँ हैं।

**04 रिक्त पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियाँ हैं।

(ख) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, चूंकि मई 2019 में अस्तित्व में आया अतः 2020 से मत्स्यपालन विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग में आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या का विवरण निम्नलिखित है: -

(i) मत्स्यपालन विभाग :-

क्र.सं.	वर्ष	रिक्ति की संख्या	श्रेणी-वार रिक्तियाँ				
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
1.	2020	9	4	1	1	2	1
2.	2021	10	4	1	1	3	1
3.	2022	13	4	2	1	3	3
4.	2023	12	3	2	1	3	3
5.	2024	10	4	1	1	2	2
6.	2025	6	2	0	1	1	2

(ii) पशुपालन और डेयरी विभाग:-

क्र.सं.	वर्ष	रिक्ति की संख्या	श्रेणी-वार रिक्तियाँ				
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
1.	2020	22	9	3	3	5	2
2.	2021	21	9	3	3	4	2
3.	2022	18	9	3	2	2	2
4.	2023	22	10	3	2	3	4
5.	2024	17	9	1	1	3	3
6.	2025	22	11	1	2	3	5

(ग) संविदा कर्मचारियों को मंत्रालय के दोनों विभागों की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसियों / गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) में एम्पानेल किए गए सेवा प्रदाताओं के माध्यम से रखा जाता है। इसके अलावा, इन कर्मचारियों को दोनों विभागों में आवश्यक योग्यता और दक्षता के अनुसार वेंडर द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। आउटसोर्स किए गए कर्मियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, अतः श्रेणी वार रोस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है।
